कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

संख्या 76 /ख0लि0–मि0ख0अनु0–एम0एम0–10/09 दिनांक 9 अगस्त, 2011

प्रपत्र एम0एम0–10

(खनन अनुमति पत्र प्रपत्र आदर्श प्रपत्र) नियम–56

मेसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 115 अंसल भवन, 16, के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली द्वारा साधारण मिटटी के खनन हेतु आवेदन प्रपत्र एम0एम0–8 दिनांक 24.06.2011 एवं उसके साथ आवेदन शुल्क रूपये 400–00 चालान संख्या–आर–130532 दिनांक 24.06.2011 के द्वारा जमा करके प्रस्तुत किया है। प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म गाजियाबाद की तकनीकी जांच आख्या दिनांक 01.08.2011 पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 04.08.2011 के अर्न्तगत **बेसमेन्ट बनाने हेतु 22,590 घनमीटर साधारण मिटटी एवं 18,072 घनमीटर साधारण बालू** के खनन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा देय कुल रायल्टी **अंकन रूपये 6,00,894.00 (रू0 छः लाख आठ सौ चौरान्बे मात्र) चालान संख्या–आर–124059 दिनांक 06.08.2011** के द्वारा राजकीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा करके चालान की मूल प्रति प्रस्तुत कर दी गई है तथा रू0 30,050/– के स्टाम्प पेपर भी जमा किये है। अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 04.08.2011 के अर्न्तगत **एतदद्वारा** तीन माह के भीतर निम्नवत शर्त के अधीन बेसमेन्ट बनाने हेतु **22,590 घनमीटर साधारण मिटटी एवं 18,072 घनमीटर साधारण बालू** के खनन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

तहसील	पर0	ग्राम/ स्थान	खसरा/ प्लाट संख्या	रकबा
गाजियाबाद	लोनी	ढूंडाहेडा	1042	खसरा संख्या 1042 के भाग से 4518 वर्गमीटर भाग में 8 मीटर गहराई तक 22,590 घ0मी0 साधारण मिट्टी एवं 18,072 घ0मी0 साधारण बालू

शर्तें–

अनुज्ञाधारक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है–

1– अनुज्ञा पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

2– अनुज्ञा पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।

3–अनुज्ञा पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

4–उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी/खनन कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र एम0एम0– 11 पर ही किया जायेगा।

5– उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 एवं समय समय पर जारी शासनादेश में दिये गये नियमों/प्राविधानों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा ।

6– यह अनुज्ञा पत्र स्वीकृत खनिज की मात्रा 22,590 घनमीटर साधारण मिटटी एवं 18,072 घनमीटर साधारण बालू अथवा अवधि तीन माह, जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही वैध होगा/रहेगा। यदि स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन किया जायेगा तो वह अवैध खनन माना जायेगा जिसके लिए खनन कर्ता एवं खनन कराने वाले व्यक्ति के विरूद्द नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

7–माह के प्रत्येक 15 दिन में खनन की मात्रा का विवरण प्रस्तुत कार्यालय में जमा करना होगा।

8–एम0एम0–11 की पुस्तकों को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण कार्यालय को वापस करना होगा एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि के समाप्त होने पर अप्रयुक्त एम एम –11 की पुस्तकों को भी कार्यालय में जमा कराना होगा।

9–खनन कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुँचे और यदि कोई क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक को देना होगा।

10–यदि खनन करते समय स्वीकृत उप खनिज के अतिरिक्त यदि कोई अन्य उप खनिज निकलता है तो आवेदक को उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी व उक्त उप खनिज की रायल्टी का आंकलन खनिज विभाग द्वारा किया जाऐगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।

11–यदि अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

12–ग्राम सभा/नगर निगम/सरकारी भूमि से मिटटी का खनन नही किया जायेगा और न ही कोई क्षति पहुँचाई जाये [illegible] के लिए सम्बन्धित लेखपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित [illegible]। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि खनन निर्धारित मात्रा में ही किया जाये।

आज्ञा से
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–निदेशक [illegible] एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0लखनऊ।

2–[illegible]कारी/तहसीलदार सदर गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सुनिश्चित कर लें कि ग्राम [illegible] भूमि से मिटटी का खनन न किया जाये। ग्राम सभा की भूमि से खनन किये जाने पर सम्बन्धित लेखपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। मिटटी का खनन निर्धारित मात्रा में ही किया जायेगा।

3–प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद कृपया अनुज्ञापत्र धारक को मिटटी की मात्रा के अनुसार प्रपत्र एम0एम0–11 जारी करने का कष्ट करें।

4–थानाध्यक्ष, विजय नगर।

5– मेसर्स असल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 115 अंसल भवन, 16, के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली।

9/8/11

कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।